पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-12-21
को पेश हो।

रीडर

दिनांक 2-12-21
आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-1-22
को पेश हो।

रीडर

6-01-22 आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश दिनांक 10.01.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

10.01.22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 ~~अ०~~ राज० काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 06.01.22 को बहस सुनी गयी। प्रार्थी का प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तलबी के उपस्थित नहीं आये। अतः दिनांक 19.07.21 को अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये। प्रार्थी द्वारा नकाशे के दावे के साथ प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी

उपखंड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम .... मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिवादित भूमि मे सहखातेदार है। जिसके साक्ष्य के रूप मे प्रार्थीगण ने जमाबंदी सम्वत 2074 खाता सं. 30 ग्राम मुंडकोडी पेश की है। प्रार्थीगण विवादित आराजी मे 3/4 के खातेदार है। एवं अपने खातेदारी आराजी का प्रतिवादी से बंटवारा करवाना चाहते है। प्रतिवादी बंटवारे के लिए सहमत नहीं है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। अपनी बहस मे अपने प्रा० पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी का बंटवारा होने तक ~~अस्थाई~~ निषेधाज्ञा ~~आदेश~~ जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के प्रा० पत्र व प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस के अवलोकन व मनन के पश्चात निष्कर्ष यह है कि प्रार्थीगण प्रा० पत्र के मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नं. 273/0.14, 274/0.02, 275/0.02, 276/0.15, 277/0.02, 278/0.15, 279/0.18, 308/0.25, 310/0.28, 311/0.27, 312/0.14, 313/0.15, 314/0.24 कुल किता 13 रकबा 2.11 है० ग्राम मुंडकोडी तह० महवा, दौसा मे सहखातेदार है। प्रतिवादी विवादित आराजी मे 1/4 का खातेदार है। विवादित आराजी पर यदि प्रतिवादी द्वारा कोई निर्माण किया जाता है अथवा	(हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .... बनाम मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मध्यनजर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है। सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। साथ ही साथ ही विवादित भूमि पर निर्माण की स्थिति मे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति सम्भावित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है एवं अप्रार्थीगण को दावे के निस्तारण तक विवादित आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने व विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करने बाबत पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी महवा जिला-दौसा (राज०)	